कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14309/876 दिनांकः– 09.11.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत बॉका के वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 688/11–12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय क्योंकि अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत बॉका
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–688/11–12
(अवधि– 2009–10 से 2010–11 तक

1. प्रस्तावनाः–

वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 हेतु नगर पंचायत, बॉका के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 28.02.12 से 06.03.12 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(क)	अध्यक्षा का नाम	कार्यकाल
	श्रीमती इन्दु देवी	01.04.09 से 31.03.11
(ख)	उपाध्यक्ष का नाम	कार्यकाल
	श्री अनील कुमार सिंह	01.04.09 से 31.03.11
(ग)	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	कार्यकाल
(i)	श्री अवध किशोर प्रसाद	01.04.09 से 28.10.09
(ii)	श्री हाकीम प्रसाद	28.10.09 से 07.04.10
(iii)	श्री विमल कुमार धोष	07.04.10 से 31.03.11

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किये गए पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन की परिशिष्ट सं0 1(क) में दर्शाया गया है, जिन अभिलेखों एवं पंजियों को लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया था अधूरा संधारित था, को परिशिष्ट 1(ख) में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवदेन

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नलिखित है —

कम सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	वर्ष	लंबित कंडिकाओं की सं0
1	ले0 प0 प्रतिवेदन सं0 06/97–98	1992–93 से 1995–96	12
2	ले0 प0 प्रतिवेदन सं0 72/01–02	1996–97 से 2000–01	39
3	ले0 प0 प्रतिवेदन सं0 05/08–09	2001–02 से 2006–07	41
4	ले0 प0 प्रतिवेदन सं0 664/09–10	2007–08 से 2008–09	32
		कुल	124

119

लेखा परीक्षा के दौरान ले0 प0 प्रतिवदेन सं0 664/09–10 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करवाया गया जो कि आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना को समर्पित किया गया है।

शेष लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीध्र तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार पटना को भेजा जाये। अनुपालन नहीं किय जाने की दशा में लेखा परीक्षा का उदेदश्य निष्फल हो जाता है।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियिम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा के बारे में उल्लेख है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928 (नियम 20, 64 एवं 73 (क) इत्यादि में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जायें, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जॉच व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा संभावित वित्तिय अनियमितताओं को दूर करने हेतु की जाती है।

नगर पंचायत को अभिलेखों के जॉच के कम में पाया गया कि इस तरह के जॉच की व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितताएँ पाई गई, जिनका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं में किया गया है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नियमों व उपबन्धों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सके व अभिलेखों/ पंजियों का उचित ढंग से संधारण हो सकें।

6. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियॉ

कम सं0	विवरणी	कंडिका सं0
(i)	कम/नही जमा ₹20,127.00	14
(ii)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर की राशि का सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नही ₹2.39 लाख	16
(iii)	दूरदर्शन केन्द्र भवन का बकाया किराया वसूलनीय ₹1.44 लाख	17
(iv)	सरकारी भवनों/विद्युत विभाग के मकान कर का बकाया ₹18.23 लाख	19
(v)	दैनिक मजदूरी पर व्यय ₹3.48 लाख	32(i)
(vi)	अग्रिम वसूली/ समायोजन हेतु लंबित ₹12.62/लाख	34
(vii)	अभिश्रव/ मस्टर रौल के बिना भुगतान व विभागीय कार्य कराना (₹1.61 लाख)	25
(viii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से सफाई कार्य पर व्यय (₹10.33 लाख)	30

118

7. **अधिदृश्य**

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कुल प्राप्तियों व व्यय का सार इस प्रकार है।

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	10722726.80	16398900.80
प्राप्तियॉ	19705031.00	13874738.00
कुल	30427757.80	30273638.80
व्यय	14028857.00	11739799.00
अन्तशेष	16398900.80	18533839.80

मासिक लेखा/वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण प्राप्तियों व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण नहीं किया जा सका।

8. **अन्तशेष**

नगर पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों का दिनांक 31.03.11 का अन्तशेष निम्न है –

कम सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	31.03.11 का अन्तशेष
(i)	यूको बैंक, बॉका खाता सं0 77264	4545258.00
(ii)	यूको बैंक, बॉका खाता सं0000948	5142387.99
(iii)	भारतीय स्टेट बैंक, बॉका खाता सं0 11708168721	89866.46
(iv)	ग्रमीण बैंक, बॉका खाता सं0 4315/29	43310.00
(v)	कॉपरेटिव बैंक, भागलपुर S. B. O 37	6293.00
(vi)	यूनाइटेड बैंक बॉका खाता सं0 1635010005227	218458.00
(vii)	भारतीय स्टेट बैंक बॉका खाता सं0 31114638717	42257.00
(viii)	यूनाइटेड बैंक (नगर प्रबंधक वेतन) बॉका,1635010012254	14947.00

कोषागार खाता अद्यतन नहीं होने के कारण 31.03.11 को कोषागार खाता की अवशेष राशि ज्ञात नही हो सकी। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा में भी कोषागार खाता को प्रस्तुत नहीं किया गया था। कोषागार खाता को अद्यतन कर एवं संबंधित रोकड़ बही से उपरोक्त बैंक खातों व कोषागार खातों के अन्तर का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाये।

9. कोषागार खाता अद्यतन नहीं

कोषागार खाता का संधारण माह अक्टूबर 2001 तक ही किया गया था एवं जमा तथा निकासी की प्रविष्टि अद्यतन नहीं थी।

नगर पंचायत द्वारा कोषागार खाते से जमा एवं निकासी से संबंधित विवरणी कोषागार पदा0 को प्रेषित की जाती है उक्त विवरणी के आधार पर जमा एवं निकासी की स्थिति निम्नलिखित है–

कम सं0	शीर्ष	2009–10	2010–11
(i)	प्रारंभिक शेष	4930179.44	3166470.44
(ii)	जमा	4371734.00	6865373.00
(iii)	कुल	9301913.44	10031843.44
(iv)	निकासी	6135443.00	1947239.00
(v)	अन्तशेष	3166470.44	8084604.44

कोषागार खाते के लिए संधारित सहायक रोकड़ बही के अनुसार 31.03.11 का अन्तशेष ₹8336668.04 था जबकि उपरोक्त विवरणी के अनुसार ₹8084604.44 था। इस प्रकार अन्तर ₹252063.60 था। कोषागार रोकड़ बही को अद्यतन कर एवं अन्तर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाय।

10. राशि का एक खाते से दूसरे खाते में बांर बार अंतरण

विभिन्न बैंक खातों के लिए संधारित अलग–अलग सहायक रोकड़ बही एवं लेखापाल रोकड़ बही के नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा अवधि में राशि का एक खाते से दूसरे खाते में एक मुश्त अंतरण किया गया जिसका उदाहरण निम्नलिखित है–

कम सं0	तिथि सं0	रोकड़ बही का नाम जिससे निकासी की गई	चेक संख्या	राशि (₹)	रोकड़ बही का नाम जिस खाते में जमा की गई
(i)	24.12.09	पी0 एल0 खाता	110118	2625475	खाता सं0 948
(ii)	–वही–	–वही–	110119	688745	–वही–
(iii)	30.03.2010	–वही–	110120	726440	यू0 बी0 आई0 बैंक खाता

(iv)	–वही–	–वही–	110121	599830	खाता सं0 948
(v)	–वही–	–वही–	110123	1494953	भारतीय स्टेट बैंक
(vi)	07.10.10	–वही–	110124	1339994	–वही–
(vii)	10.01.2011	–वही–	110125	241812	निजी कोष खाते में
(viii)	–वही–	–वही–	110126	365433	–वही–

राशि का एक खाते से दुसरे खाते में अंतरण किए जाने से लेखांकण कार्य जटिल एवं भ्रामक हो गया था। उक्त सभी जमा एवं निकासी को रोकड़ बही के जोड़ में शामिल किया गया था फलस्वरूप वर्ष बार आय एवं व्यय की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। उक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

11. बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 का बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था जिसे नगर पंचायत द्वारा पारित किये जाने एंव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजे जाने का विवरण निम्न हैं–

(i)	वर्ष 2009–10	नगर पंचायत की बैठक दिनांक 07.07.09 में पारित	ज्ञापांक 234 दिनांक 14.07.09 द्वारा विभाग को प्रेषित
(ii)	वर्ष 2010–11	नगर पंचायत की बैठक दिनांक 16.04.10 में पारित	ज्ञापांक 448 दिनांक 03.08.10 द्वारा विभाग को प्रेषित

बिहार नगरपालिका अधिनियम के अनुसार आगामी वर्ष का बजट प्राक्कलन वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व तैयार किया जाना है एवं संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाना है परंतु नगर पंचायत द्वारा बजट तैयार किये जाने में समय–सीमा का पालन नहीं किया गया ।

बजट में दर्शित अनुमानित आय–व्यय एवं लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वास्तविक आय–व्यय के बीच अधिक अंतर था जिसकी विवरणी इस प्रकार है

कम सं0	विवरण	2009–10	2010–11
(i)	प्रारंभिक अवशेष	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ii)	अनुमानित आय	20018912.00	21326497.00
(iii)	वास्तविक आय	19705031.00	13879738.00
(iv)	आय में अंतर (%)	2%	35%
(v)	अनुमानित व्यय	22410932.00	21572268.00
(vi)	वास्तविक व्यय	14028857.00	11739799.00
(vii)	व्यय में अंतर (% में)	37%	46%

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि अनुमानित आय–व्यय तथा वास्तविक आय–व्यय की काफी अन्तर था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन वास्तविकता से भिन्न था। इसके अलावा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे जिसके कारण बजट प्राक्कलन में वर्णित शीर्षवार वास्तविक आय व व्यय की तुलना नहीं की जा सकी।

12. सरकारी अनुदान

(आवंटन पंजी सहायक रोकड़ बही (विभिन्न बैंक खातों के लिए) के जॉच से ज्ञात हुआ कि लेखा –परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अनुदान नगर पंचायत को प्राप्त हुएः–

2009–10

कम सं0	दिनांक	राशि	विवरण
(i)	30.03.10	1494953.00	नगर विकास एवं आवास विभाग के प्राप्तांक 126 दिनाक 02.10.2009 से द्वादश वित्त आयोग (XIIth F.C) से प्राप्त।
(ii)	30.03.10	669992.00	–वही– पत्रांक 28 दिनांक– 17.03.10 से XIIth वित्त आयोग के तहत।
(iii)	30.03.10	753003.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 26 दिनांक 16.03.10 तृतीय राज्य वित्त आयोग के तहत 3% मैचिंग ग्रान्ट
(iv)	....	81600.00	पत्रांक 30 दिनांक 19.03.10 निदेशक न0 वि0 एवं आ0 विभाग से पार्षदों के बैठक भत्ता हेतु।
(v)	31.03.10	669992.00	पत्रांक 41 दिनांक 25.03.10 द्वारा XIIth (द्वादश) वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त।
(vi)	25.06.09	2437000.00	मु0 का0 पदा0 सह उप विकास आयुक्त के पत्रांक 822 दिनांक 12.06.09 से बी0 आर0 जी0 एफ0 (BRGF) के तहत चेक संख्या 30352524900 दिनांक 02.06.09
(vii)	29.07.09	1000000.00	बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के चेक सं0 040659 दिनांक 30.05.09 द्वारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु
(viii)	15.01.01	10000.00	जिला नजारत बॉका से अलाव व्यवस्था हेतु चेक सं0 019405 दिनांक 7.01.10 एवं चेक सं0– 019409 दिनांक 08.01.10 द्वारा पत्रांक– 22 दिनांक 08.01.10 से प्राप्त
(ix)	11.02.10	2627000.00	उप विकास आयुक्त के पत्रांक 15 दिनांक 19.01.10 चेक सं0–016914.00 दिनांक 28.01.10 द्वारा B.R.G.F. मद में प्राप्त।
(x)	30.03.10	500000.00	बिहार शिक्षा परियोजना बॉका से शिक्षकों के मानदेय हेतु चेक सं0–436752 दिनांक 17.03.10
(xi)	11.02.10	78000.00	जि0 पदा0 के पत्रांक 22 दिनांक 08.01.10 से चेक सं0 010728 दिनांक 08.02.10 द्वारा कबीर अन्त्येष्टि मद में प्राप्त।
	कुल योग	10321540.00	

2010–11

क्रम सं0	दिनांक	राशि	विवरण
(i)	4.08.10	300000.00	जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से चेक सं0– 023035 दिनांक 25.06.10 शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु।
(ii)	13.10.10	684000.00	–वही– चेक सं0 917288 दिनांक 13.10.10
(iii)	18.10.10	140000.00	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 6843 दिनांक 03.11.10 बैंक ड्रॉफ्ट सं0 708456 दिनांक 12.11.10 नगर प्रबंधक को मानदेय।
(iv)	21.02.11	1624000.00	उप विकास आयुक्त, जिला परि0 से चेक सं0– 124094 दिनांक 21.02.11 मद में (BRGF)
(v)	08.02.11	169400.00	जनगणना हेतु
(vi)	08.02.11	75000.00	जनगणना हेतु मानेदय भुगतान।
(vii)	21.02.11	3696.00	कार्यालय व्यय जनगणना हेतु।
(viii)	29.02.11	30800.00	जनगणना हेतु सुचीकरण कार्य।
(ix)	29.02.11	135700.00	–वही– प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को बकाया मानदेय।
(x)	31.03.11	1300000.00	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 95 दिनांक 17.08.10 द्वारा 13 वीं वित्त आयोग (2010–11 की प्रथम किस्त)
(xi)	31.03.11	81600.00	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 69 दिनांक 26.04.10 द्वारा पार्षदों को नियम भत्ता
(xii)	31.03.11	4099810.00	–वही–) पत्रांक 166 दिनांक 26.03.11 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मैचिंग ग्रान्ट।
(xiii)	31.03.11	128424.00	विशेष सचिव, पटना के ज्ञापांक 169 दिनांक 29.03.11 (2010–11 के वेतनादि हेतु)
(xiv)	28.04.10	826000.00	उप विकास आयुक्त से BRGF अन्तर्गत चेक सं0– 017088 दिनांक 31.03.10 द्वारा प्राप्त।
(xv)	08.05.10	654300.00	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रशानिक भवन निर्माण हेतु/ BD No.-364486 दिनांक 05.04.10
(xvi)	03.07.10	78000.00	जिला पदा0 कार्यालय से कबीर अत्येष्टि मद में चेक सं0 010731 दिनांक 03.07.10 से प्राप्त।
	कुल योग	10330730.00	

113)

सार

2009–10	10321540.00
2010–11	10330730.00

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के अनुसार विहित प्रपत्र में अुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था, फलस्वरूप वर्ष के अन्त में अनुदानवार अव्यवहत राशि, वर्ष में प्राप्त अनुदान से व्यय की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

अतः विहित प्रपत्र में अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाय।

13. अव्यहृत अनुदान की राशि (₹1.01 करोड़)

नगर पंचायत द्वारा संधारित विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान दिनांक 31.03.2011 को अव्यवहृत पड़ी थी

कम सं0	सहायक रोकड़ बही का नाम	अव्यवहृत अनुदान की स्थिति	
(i)	सहायक रोकड़ पंजी (योजना मद) खाता सं0 0948 यूको बैंक, बॉका	(क) प्रशासनिक भवन निर्माण (ख) विधान पार्षद चापाकल (ग) माननीय विधायक(चापाकल)	₹3242175.00 ₹105432.00 ₹533249.00
(ii)	सहायक रोकड़ बही (द्वादश एवं त्रियोदश वित्त आयोग) खाता सं0 8717, भा0 स्टे0 बैंक, बॉका	(क) द्वादश वित्त आयोग	₹410639.00
(iii)	सहायक रोकड़ बही (बी0 आर0 जी0 एफ0)	(क) बी0 आर0 जी0 एफ0	₹4304219.00
(iv)	सहायक रोकड़ बही (द्वादश वित्त आयोग) ग्रामीण बैंक	(क) द्वादश वित्त आयोग	₹230995.00
(v)	सहायक रोकड़ बही (पी0 एल0 खाता)	(क) त्रियोदश वित्त आयोग	₹1300000.00
	कुल		₹10126709.00

उक्त अनुदान राशि के अव्यहृत होने के कारण से लेखा परीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया । इसे यथाशीध्र उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र विभाग को समर्पित किया जाय। या आवश्यकता न होने पर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

14. मकान कर/विविध कर प्राप्तियों का कम/नहीं जमा

मकान कर व विविध कर प्राप्तियों का जमा नगर पंचायत कोष में जॉच करने के कम में पाया गया कि नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा मकान कर व विविध कर के रूप में संग्रहित ₹ 20127.00 जमा नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान ₹ 14251.00 जमा करवाया गया शेष राशि ₹ 5876.00 विभिन्न कर्मचारियों के पास अभी भी जमा हेतु लंबित है। विवरणी निम्नलिखित है–

कम सं0	वसूलीकर्त्ता का नाम	रसीद का प्रकार	रसीद सं0/दिनांक	वसूल की गई राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा	शेष राशि
(i)	श्री राजकुमार यादव, कर संग्रहक	'H' रसीद	4324 से 4343 (दिनांक–से 25.02.12)	2281.00	2281.00	शून्य
(ii)	श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, सहायक कर दरोगा	प्रोभिजनल रसीद	3701 से 3800(तिथि अंकित नहीं)	1000.00	1000.00	शून्य
(iii)	–वही–	विविध प्राप्तियॉ	4801 से 4900 (26.12.09 से 10.02.12)	5680.00	5680.00	शून्य
(iv)	–वही–	प्रोभिजनल रसीद	5201 से 5257	5290.00	5290.00	शून्य
(v)	श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, सहायक कर दरोगा	विविध रसीद	4962 से 4983 (12.11..11 से 23.02.11)	1005.00	शून्य	1005.00
(vi)	श्री पवन कु0 यादव, कर संग्रहक	मकान कर	3347 से 3380 (27.09.11 से 06.02.12)	4871.00	शून्य	4871.00
			कुल	**20127.00**	**14251.00**	**5876.00**

अतः शेष राशि ₹5876.00 अविलम्ब जमा कराया जाय। जमा राशि का साक्ष्य अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

15. अप्रस्तुत विविध रसीद

विविध रसीद/ होल्डिंग रसीद के भंडार पंजी के जॉच के कम में पाया गया कि निम्न विविध रसीद लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया

कम सं0	विविध रसीद सं0	रसीद प्राप्तकर्त्ता का नाम
1	4601 से 4700	श्री राजीव कुमार झा0, सफाई जमादार

उपरोक्त विविध रसीद अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने के कारण, वसूल की गई राशि के जमा का सत्यापन नगर पंचायत कोष में नहीं किया जा सकां जिससे राजस्व के गबन की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकाता।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी उपयुर्क्त रसीदों से प्राप्त राजस्व का जमा नगर पंचायत निधि में सुनिश्चित करें एवं अगले लेखा परीक्षा को जमा का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।

16. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं (₹2.39 करोड़)

सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की कुल वसूल की गई राशि में से 10% राशि संग्रहण प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90% राशि को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना है। परन्तु 2007–08 से 2010–11 तक नगर पंचायत द्वारा संग्रहित शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर राशि का 10% राशि संग्रह प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90% राशि को सरकार के संबंधित कोष में जमा नहीं किया गया है। विवरण निम्न है–

कम सं0	संग्रहीत वर्ष	शिक्षा/स्वास्थ्य उपकर (₹)
(i)	2007–08	20844.75
(ii)	2008–09	64198.70
(iii)	2009–10	86794.40
(iv)	2010–11	94187.05
	कुल	266024.90
	संग्रहण प्रभार कुल कटौती (10%) (–)	26602.49
	सरकार को देय राशि	239422.41

अतः₹ 239422.41 को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

17. दूरदर्शन केन्द्र भवन का बकाया किराया (₹1.44 लाख) वसूलनीय

दूरदर्शन रिले केन्द्र, बॉका, नगर भवन के परिसर में किराये के भवन पर दिनांक 01.11.2000 से कार्यरत है। प्रारम्भ में दूरदर्शन रिले केन्द्र को दिए गए भवन व खुली जमीन का किराया प्रतिमाह ₹5000.00 निर्धारित किया गया था।

दिनांक 29.06.2007 को नगर पंचायत, बॉका के बोर्ड बैठक में प्रस्ताव सं0 04 द्वारा उपरोक्त भवन का किराया ₹ 10000 प्रतिमाह पारित किया गया तथा इसके अनुमोदन/ आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सह –गृह नियंत्रक पदा0 बॉका/ को प्रत्रांक 273/18.07.07 द्वारा प्रेषित किया गया।

अनुमंडल पदा0/बॉका द्वारा बाद सं0 02/07 दिनांक 18.08.09 द्वारा दूरदर्शन रिले केन्द्र भवन का किराया ₹8000.00 प्रतिमाह तय किया गया जिसे 01.04.07 से लागू किया गया। परन्तु दूरदर्शन रिले केन्द्र द्वारा 01.04.07 से 31.03.11 तक

₹ 5000.00 प्रति माह की दर से ₹ 240000.00 (5000X12X4) ही जमा कराया गया। 01.04.07 से 31.03.11 तक 48 माह का बकाया अन्तर भाड़ा ₹3000 प्रतिमाह के दर से ₹144000 (3000x12x4) अभी भी बकाया है।

उपरोक्त बकाया राशि ₹ 1,44,000.00 की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

18. मुद्रांक शुल्क ₹ 14007.00 की बसूली नहीं

सरकार के निर्देशानुसार (पत्रांक 1920/री0/ मुख्य सचिव, दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 पंजीयन के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) सैरातों की बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर किया जाना है तथा बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की कुल राशि का 3% मुद्रांक शुल्क के रूप में जमा करना हैं।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2009–10 में विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती में मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 14,007.00 की वसूली नहीं की गई। विवरणी निम्न है–

कम सं0	सैरात का नाम	बंदोबस्तधारक का नाम	बंदोबस्ती की राशि (₹)	वसूलनीय मुद्रांक शुल्क (3%)
(i)	साईकिल, रिक्शा टिन–टिकट वसूली	श्री अरविन्द यादव	53000.00	1590.00
(ii)	प्रवेश शुल्क/सफाई शुल्क वसूली	श्री विभाष कु0 चौधरी	88083.00	2642.00
(iii)	बिजयनगर बस स्टैण्ड	श्री राजेश कु0 सिंह	325833.00	9775.00
				14007.00

उपरोक्त मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं होने का कारण पूछने पर इतना बताया गया कि 2010–11 में हुए विभिन्न बंदोबस्ती पर 3% की दर से मुद्रांक शुल्क की वसूली की गई हैं।

उपरोक्त राशि की वूली नहीं होने से सरकार को संबंधित मद में राशि ₹ 14007 की राजस्व हानि हुई।

उपरोक्त राशि को संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूलकर एंव संबंधित मद में जमा कर प्रधानमहालेखाकर कार्यालय को सूचित किया जाय।

19. सरकारी भवनों/ विधुत विभाग के मकान कर का बकाया राशि वसूलनीय (₹ 18.33 लाख)

नगर पंचायत बॉका के क्षेत्र अन्तर्गत सरकारी भवनों/विद्युत विभाग भवनों का मकान कर ₹1833194.00 वसूली हेतु लंबित है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–02 पर)

उपरोक्त वर्णित भवनों के मकान कर के बकाया विवरणी से स्पष्ट है कि कुछ भवनों का मकान कर 1967 से ही लंबित है।

अतः उपरोक्त लंबित बकाया मकान कर की राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

20. मोबाईल टावर कंपनियों से सेवा शुल्क (₹ 15.20 लाख) की वसूली नहीं

नगर पंचायत, बॉका द्वारा मोबाइल टावर के सेवा शुल्क संबंधित, संधारित संचिका के जॉच के कम में पाया गया कि नगर पंचायत, बॉका क्षेतान्तर्गत कुल 14 मोबाईल टावर कार्यरत है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 03 पर)

संलग्न विवरणी मे कम सं0 01 सं 06 तक वर्णित मोबाईल टावर कंपनियों (एअरसेल (03), एयरटेल, ए0 टी0 सी0 टावर कंपनी, भारती इनफरटेल लिमिटेड) द्वारा मात्र 2007–08 का सेवा शुल्क ₹2000/ मी0 वर्ष के दर पर जमा किया गया। 2007–08 के बाद उपरोक्त कंपनियों द्वारा तथा शेष अन्य कंपनियों (क्रमांक 7 सं 13) द्वारा 2007–08 से ही सेवा शुल्क जमा नहीं किया गया है। क्यूरपो टेलिकॉम द्वारा 2009–10 में टावर लगाने की अनुमति प्राप्त करने पर मात्र वर्ष 2009–10 का सेवा शुल्क जमा किया। परन्तु 2010–11 का सेवा शुल्क जमा नहीं किया गया है इस प्रकार वर्ष 2010–11 तक ₹1520000.00 कर मोबाइल टावर कम्पनियों के यहाँ बकाया था। बकाया सेवा शुल्क की वसूली हेतु सरकार निर्देशानुसार कदम उठाया जाय।

21. योजना मद की राशि से वेतन भुगतान मद में अस्थायी विचलन (₹6.04 लाख)

द्वादश वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं ट्रेक्टर कय हेतु प्राप्त अनुदान से वेतन मद में भुगतान कर अस्थायी विचलन किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

कम सं0	स0 रोकड़बही का नाम	निकासी का विवरण	राशि (₹)	प्रतिपूर्ति का विवरण
(i)	ग्रमीण बैंक	चेक सं0 356923 दिनांक 24.09.09	152000.00	चेक सं0 068125 दिनांक 05.01.10
(ii)	योजना मद खाता सं0 000948	चेक सं0 068169/08.10.10 068170/08.1010	5368.00 236444.00	चेक सं0 110125 दिनांक 19.01.11
(iii)	–वही–	चेक सं0 068174/16.03.11	210000	चेक सं0 110129 दिनांक 18.06.11
			603812.00	

विशिष्ट प्रयोजन हेतु प्राप्त अनुदान का अन्य उददेश्यों में व्यय किया जाना अनियमित था। भविष्य मे रव्याल रखा जाय कि अनुदानों विचलन अन्य उदेदेयों हेतु नही किया जाय।

22. मैचिंग ग्रण्ट मद मे अधिक आवंटन ₹ 26.74 लाख

तृतीय राज वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार के कर राजस्व की शुद्व संग्रहण का तीन प्रतिशत समतुल्य राशि में से नगर निकायों को उनके द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में संग्रहित राजस्व की राशि के समतुल्य राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में आवंटित किया जाना था। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1760/पटना/दिनांक 26.03.2011 द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 हेतु कुल ₹ 4099810 आवंटित किए गए।

राज्य सरकार द्वारा उक्त आवंटन किए जाने से पूर्व विभाग द्वारा पत्रांक 2486 दिनांक 11.05.2010 एवं पत्रांक 2477 दिनांक 11.05.2010 द्वारा कमशः वर्ष 2009–10 एवं 2008–09 हेतु सबंधित निकाय से अंकेक्षित राजस्व संग्रहण (स्टाम्प डयूटी छोड़कर) सबंधी प्रतिवेदन उक्त निकाय से मॉगा गया था, नगर पंचायत द्वारा राजस्व संग्रहण से सबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रेषित किये गएः–

कम सं0	संग्रहण शीर्ष	2008–09 हेतु	2009–10 हेतु (राशि ₹)
(i)	मकान कर	73218.00	55298.00
(ii)	जल कर	176.00	64.00
(iii)	रोशनी कर	71220.00	14280.00
(iv)	साइकिल रिक्सा	52500.00	53000.00
(v)	जमीन बन्दोबस्ती	1425.00	शून्य
(vi)	सैरात	487250.00	493500.00
(vii)	शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस	72219.00	52060.00
(viii)	विविध	1386820.00	1287108.00
	कुल	2174059.00	1925751.00

(ix) विभाग को प्रेषित किये जाने का संदर्भ नगर पंचायत के पत्रांक 339 दिनांक 16.06.2010 पत्रांक 340 दिनांक16.06.10

अभिलेखों के नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा राजस्व संग्रह से सबंधित प्रतिवेदन में स्टाम्प डयूटी मद से प्राप्त राशि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए कमश ₹1386820.00 एवं 1287108.00 को विविध शीर्ष में संग्रहित दर्शाकर मैचिंग ग्राण्ट का आवंटन प्राप्त किया गया जो अनियमित था। इसके अलावे प्रेषित प्रतिवेदन में गणना में भी भुल पायी गयी।

इस प्रकारर कुल 2673928 रू0 (1386820+1287108) का विभाग द्वारा मैचिंग ग्रण्ट मद में नगर पंचायत को अधिक आवंटन किये गये जिसे नियमित कराकर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(107)

23. वैट की कटौती नहीं ₹21034.00

नगर पंचायत द्वारा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क (निजी कोष) से विभिन्न वार्डो हेतु निम्न शैफल रोड/ सोल्र लाईट का क्रय किया गया परन्तु विक्रेता को भुगतान के समय बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धार 40 के तहत भुगतान के स्रोत पर वैट राशि ₹21034.00 की कटौती नहीं की गई। विवरणी निम्न है–

क्रम सं0	विक्रेता का नाम	वार्ड सं0	सामग्री	मूल्य	वैट (4%)
(i)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	01	सैफल रोड	39600	1584
(ii)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	07	सैफल रोड	39600	1584
(iii)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	09	सैफल रोड	39600	1584
(iv)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	11	सैफल रोड	39600	1584
(v)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	12	सैफल रोड	39600	1584
(vi)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	13	सैफल रोड	39600	1584
(vii)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	15	सैफल रोड	39600	1584
(viii)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	16	सैफल रोड	20790	832
(ix)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	22	सैफल रोड	39600	1584
(x)	पावर टेक इन्फ्राकारपोरेशन फ्रेजर रोड पटना	अनुपलब्ध	सैफल रोड	34650	1386
(xi)	चौधरी सोलर, बराहाट, बॉका	18	सोलर लाईट	40900	1636
(xii)	मेमर्स मॉ इन्टप्राइजेज, बॉका	–	स्वतः चालीत स्ट्रीट लाईट	112700.00	4508
				कुल	21034.00

उपरोक्त टिप्पणीयों के स्पष्टीकरण तक कार्य पर व्यय की गई कुल राशि ₹161226.00 (68032+93194) अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती हैं

26. निरस्त

27. एकल निविदा के कारण समान कार्य हेतु अभिकर्त्ता को अधिक भुगतानः–(₹ 22334.00)

योजना संचिका के नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित योजनाओं में किए जाने वाले समान कार्य में अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान किया गया।

क्रम सं0	विवरण	BRGF योजना सं0 61/09–10 कच्ची पथ निर्माण	BRGF योजना सं0 62/09–10 कच्ची पथ सड़क निर्माण
(i)	प्राक्कलित राशि	149500 कार्य अभियंता द्वारा दिनांक 30.05.08	149100 कार्य अभियंता द्वारा दिनांक 30.05.08
(ii)	निविदा का रूप	एकल निविदा, अनुसूचित दर पर	तीन संवेदकों द्वारा निवेदित दर के आधार पर तुलनात्मक विवरणी 15% कम दर पर (निविदा संबंधी सभी कागजात उपलब्ध)
(iii)	संवेदक का नाम	श्री देवानन्द सिंह	श्री देवानन्द सिंह
(iv)	निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि	क्रमशः 06.06.2009 एवं 08.06.2009	क्रमशः 06.06.09 एवं 08.06.09
(v)	एकरारनामा की तिथि	दिनांक 04.02.10	दिनांक 04.02.10
(vi)	कार्यादेश की तिथि	ज्ञापांक 89 दिनांक 06.02.10	ज्ञापांक 90, दिनांक 06.02.10
(vii)	मापी पुस्त के अनुसार कार्य	148896.00	146404.00
(viii)	भुगतान स्वीकृति की पूर्ण राशि	148896.00	124443.00(15% कम पर)
(ix)	कटौती के पश्चात भुगतान	139249.00	112224.00

उपरोक्त दोनों कार्य हेतु प्राक्कलन/परिणाम विपत्रों के अनुसार Item of Work निम्नलिखित थे।

/03

क्रम सं0	Item of work/Rate	योजना सं0–61/09–10 कार्य की मात्रा	योजना सं0 62/09–10 कार्य की मात्रा
(i)	Earth work in filling in Rd embankment with ord. soil @₹ 24/m3	1147.95 M3	1081.62 M3
(ii)	Carriage of earth by mechanical transport lead 3 km @ ₹ 58.73/M^3	1010.19 M3	973.45 M3
(iii)	Supply of morom with carriage do all complete work @ lead up to 50 Km	255.10M3	270.40 M3
(iv)	Spreading of morom on road do all complete job @ 75/- each labour	90 labour @ 1 no for 100/cft	98 labour

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि दोनों योजनाओं में कार्य का प्रत्येक मद समान था एवं एक ही अभिकर्त्ता द्वारा एक ही दिन में उक्त दोनों कार्य हेतु अलग–अलग दर निविदित किया गया था। नगर पंचायत द्वारा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के प्रावधानों का पालन न कर योजना सं0 61/2009–10 में एकल निविदा स्वीकृत करने एवं संवेदक से दर वार्त्ता कर निविदा दरों में कमी नहीं कराए जाने के कारण ₹22334 (148896 का 15%) की हानि हुई।

इस प्रकार उपरोक्त हानि की राशि को संबंधित जिम्मेबार अधिकारियों/ व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

28. प्राक्कलन से विचलन कर कार्य का निष्पादन एवं एकल निविदा

योजना का नाम	**वार्ड सं0 20 में (विजयनगर) मनोज साह के घर से महेश शाह के घर तक पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण**
योजना सं0	60/09–10
प्राक्कलित राशि	₹149700.00
स्रोत का नाम	बी0 आर0 जी0 एफ0
तकनिकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता बॉका 15.06.2008
प्रशासनिक स्वीकृति	संचिका में उपलब्ध नहीं
संवेदक का नाम	श्री देवानंद सिंह
कार्यादेश की तिथि	15.12.09
एकरारनामा की तिथि	15.12.09
मापी पुस्त के अनुसार कार्य	₹149700.00

उपरोक्त कटौती नहीं करने का कारण पूछने पर बताया गया कि संबंधित आपूर्तिकर्त्ता से उपरोक्त की वसूली हेतु पत्राचार/नोटिस किया जाएगा। वैट की नही काटी गयी राशि की वसूली जिम्मेवार अधिकारियों/व्यक्तियों से की जाए एंव सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

24. कटौती की गई आयकर, वैट एवं रायल्टी की राशि (₹1.99 लाख) सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं

नगर पंचायत, बॉका द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के 2009–10 की योजनाओं में कटौती की गई आयकर, वैट व रायल्टी की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया हैं विवरण इस प्रकार है।

कम सं0	मद	राशि (₹)
(i)	आयकर	52082.00
(ii)	वैट	70453.00
(iii)	रायल्टी	75994.00
		198529.00

उपरोक्त कटौती की गई राशि के अलावा 2010–11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद से एवं 2009–10 से 2010–11 में 12 वीं व 13वीं वित्त आयोग मद से ली गई योजनाओं में कटौती की गई आयकर, वैट व रायल्टी की राशि को अविलम्ब सरकार के संबंधित कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

25. अभिश्रव/मस्टर रौल के बिना भुगतान व विभागीय कार्य कराना (₹1.61 लाख)

(i) योजना सं0 01/09–10 (मुद्रांक शुल्क)

योजना का नाम	**विजय भवन वार्ड सं0 16 में राजेश कुमार सिंह के घर से सुशील मंडल के घर तक पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण**
प्रा0 राशि	₹ 68600.00
अभिकर्त्ता का नाम	श्री अजय कुमार चक्रवर्त्ती/ सहायक कर दारोगा (विभागीय)
योजना प्रारंभ की तिथि	07.07.09
योजना पूर्ण होने की नियत तिथि	07.08.09
योजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	30.09.09
अंतिम मापी की तिथि	30.09.09
मापी की राशि	₹ 68032.00

105

भुगतान की विवरणी

(i)	अभिकर्त्ता	₹ 62961.00
(ii)	रायल्टी + वैट	5071.00
		68032.00

कार्य की स्थितिः– पूर्ण

(ii) योजना सं0 32/09–10 (मुद्रांक शुल्क):–

कार्य का नाम	**वार्ड सं0 02 गरनियॉ में श्यामसुन्दर कापरी के घर से जिन्देश्वर कापरी के घर तक पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण।**
प्रा0 राशि	₹ 103164.00
अभिकर्त्ता	श्री छविलाल कामती (विभागीय)
कार्यादेश	22.09.09 (कार्य0 पदा0, बॉका)
कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	22.10.09
कार्य पूर्ण हाने की वास्तविक तिथि	25.03.10
कार्य की स्थिति	पूर्ण
मापी की राशि	₹ 93194.00
अंतिम मापी की तिथि	25.03.10

भुगतान की विवरणी

(i)	अभिकर्त्ता	₹ 85738.00
(ii)	रायल्टी + वैट	7456.00
		93194.00

अंकेक्षण टिप्पणीयॉ

(क) योजनाओं की उपलब्ध संचिकाओं में सामग्रियों के क्रय से संबंधित अभिश्रव व मजदूर मिस्त्री का मस्टर रौल संलग्न नहीं था। अभिश्रव/मस्टर रौल के अभाव में किस प्रकार अभिकर्त्ता को पूर्ण भुगतान किया गया, लेखापरीक्षा दल को स्पष्ट नहीं किया गया। कार्यस्थल का फोटोग्राफ भी संचिका में उपलब्ध नहीं था।

(ख) सरकार के विभागीय पत्रांक 356/22.01.08 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उपरोकत तिथि से नगर निकाय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम के किया जाना हैं परन्तु वर्णित कार्यो को विभागीय कराया गया। किन परिस्थिति व प्राधिकार के तहत उपरोक्त कार्य विभागीय किया गया, लेखा परीक्षा दल को स्पष्ट नहीं किया गया।

102

भुगतान

प्रथम विपत्र (04.01.10)	**शुद्ध**	**126257.00**
	कटौती आ0 क0	3982.00
द्वितिय विपत्र से 24.07.10 को भुगतान	सु0 जमा	7485.00
	बिक्री कर	5988.00
	रॉयल्टी	5988.00
		149700.00

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(i) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य का निविदा दिनांक 08.06.09 को प्राप्त किया गया। उक्त कार्य का आवंटन श्री देवानंद सिंह के एकल निविदा के आधार पर किया गया जो अनुसूचित दर पर था, लेकिन नगर पंचायत द्वारा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 का पालन नहीं कर एकल निविदा की स्वीकृति निविदा आमांत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से की गई।

(ii) प्राक्कलन के अनुसार पी0 सी0 सी0 सड़क का निर्माण श्री मनोज साह के घर से श्री विनोद साह के घर होते हुए श्री महेश साह के घर तक किया जाना था एवं जिसकी लंबाई 420' एवं चौड़ाई 8' थी उक्त लंबाई में सड़क पर मिटी भराई, बालु भराई, ईट खरंजाकरण एवं पी0 सी0 सी0 कार्य किया जाना था। मापी पुस्त की जॉच से ज्ञात हुआ कि प्राक्कलन में वर्णित प्रत्येक Item of work का कार्य 279' लम्बाई में ही किया गया था परन्तु चौड़ाई औसत रूप में 14' दर्शायी गयी थी इस प्रकार प्राक्कलन से कम 141' अर्थात 66% लम्बाई में ही कार्य पर पूर्ण भुगतान किया गया। उक्त कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता से तकनीकि प्रतिवेदन प्राप्त थी एवं तदनुरूप कार्य की मात्रा दर्शाई गयी थी। इस प्रकार आनुपातिक रूप से अभिकर्त्ता को ₹50256 (149700/420X141) (141' लंबाई में कार्य कराए जाने का मूल्य) भुगतान किया गया। उक्त भुगतान अगले लेखापरीक्षा में स्पष्टीकरण दिये जाने तक आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

29. अपूर्ण योजना में सुरक्षित जमा राशि की विमुक्ति एवं विलम्ब राशि की कटौती नही किया जाना

योजना का नाम	**सत्यनारायण राय की घर से विजय सिंह के घर तक पक्की नाली निर्माण**
योजना सं0	उपलब्ध नहीं
स्रोत का नाम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
प्राक्कलित राशि	₹157000.00
तकनीकि स्वीकृति	सहायक अभियंता, गामीण कार्य विभाग प्रमंडल –2, बॉका दिनांक– 20.07.10
प्रशासनिक स्वीकृति	संचिका में वर्णित नहीं

अभिकर्त्ता का नाम	श्री देवानंद सिंह, अनुसूचित दर पर
एकरारनामा की तिथि	04.09.2010
कार्यादेश	ज्ञापांक 536 दिनांक 04.09.10
कार्य समाप्त करने की नियत अवधि	1माह

मापी पुस्त के अनुसार कार्य की मात्रा

प्रथम मापी	**01.10.10**	**61844**
द्वितिय मापी	24.12.10	27471
		89315.00

भुगतान का विवरण

कुल कार्य	**61844**	**27471**	**89315**
I.T.(-)	1645	731	2376
रॉयल्टी	2474	1099	3573
बिक्री कर	2474	1099	3573
सु0 जमा	3092	1374	4466
शुद्ध भुगतान	52159	23168	75327

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(i) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त अपूर्ण कार्य में सुरक्षित जमा की राशि ₹ 4466 चेक सं0 080325 दिनांक 26.09.11 द्वारा अभिकर्त्ता को वापस कर दिया गया था। जबकि कार्य अपूर्ण छोड़ने को कोई कारण नहीं बताया गया था। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार, निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के फलस्वरूप 10% भुगतान में कटौती का प्रावधान था परन्तु अन्तिम भुगतान से 8931 रू0 (10%89315₹) की कटौती नहीं की गई।

(ii) उक्त योजना में नाला निर्माण 331' लंबाई में किया जाना था परन्तु मापी पुस्त की जॉच से ज्ञात हुआ कि नाली का निर्माण मात्र 191 फीट लंबाई में किया गया था।

अतः अधूरे कार्य को पूर्ण करवाया जाय एवं अधिक भुगतान की राशि ₹8931.00 जिम्मेवार व्यक्ति/ अभिकर्त्ता से वसूल कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।